न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/62/2018	2018/00214	25.06.2018	26.03.2025

1. आसीनी पत्नी आमीन खां जाति मेव निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा राज.।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. पूरण सिंह पुत्र निरंजन सिंह रायसिख,
2. भगत सिंह पुत्र निरंजन सिंह रायसिख,
3. सुनो बाई पुत्री निरंजन सिंह रायसिख,
4. बचनो बाई पुत्री निरंजन सिंह रायसिख,
5. मिन्द्रो बाई पुत्री निरंजन सिंह रायसिख,
6. अमर कौर पुत्री निरंजन सिंह रायसिख,
7. निरंजन सिंह पुत्र नागर सिंह रायसिख––(मृतक)
   निवासीयान ग्राम धनेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
8. तहसीलदार भू.अ. रामगढ़, जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 599 निर्णय दिनांक 04.06.2018 ग्राम धनेटा तह0 रामगढ़ जिला अलवर।

उपस्थितः–

01–श्री रामनिवास सैनी –वकील अपी0
02–श्री मनजीत सिंह –वकील रेस्पो0
03–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0 स. 8

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 599 निर्णय दिनांक 04.06.2018 ग्राम धनेटा तहसील रामगढ़ द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नंबर 511 रकबा 0.01 है0, 512 रकबा 0.34 है0, 513 रकबा 0.31 है, 589 रकबा 0.34 है, 353 रकबा 0.53 है0 ग्राम धनेटा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज. में स्थित है। उक्त आराजी बाबत रेस्पो0 पूरण सिंह व भगत सिंह ने रेस्पो0 निरंजन सिंह व चरण सिंह के खिलाफ धारा 53, 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधि0 के तहत न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहां प्रस्तुत किया, जिस दावे का दिनांक 20.06.2017 को कैम्प कोर्ट गढ़ी में निर्णय कर डिक्री गलत व बेजा तौर पर विधि विरूद्ध एवम कब्जे, मौके व रिकार्ड के खिलाफ पारित की गई कि जिस निर्णय व डिकी के खिलाफ तहसीलदार साहब द्वारा निर्णय दिनांक 04.06.18 को पारित कर आलोच्य नामांतकरण संख्या 599 गलत व बेजा तौर पर विधि विरूद्ध एवम कब्जे, मौके व रिकार्ड के खिलाफ स्वीकार किया है कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधारों पर स्वीकार होने तथा आलोच्य निर्णय नामांतकरण अपास्त होने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय व डिकी राजीनामा के आधार पर पारित की गई है लेकिन पत्रावली में संलग्न राजीनामा प्रपत्र से बखूबी दर्शित है कि उस पर केवल रैस्पाडेण्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वादी पूरण सिंह के हस्ताक्षर व रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी निरंजन सिंह के अंगूठा निशानी हो रहे है। रैस्पाडेण्ट वादी भगत सिंह व रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी चरण सिंह के कोई हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है ना ही राजीनामा प्रपत्र में रैस्पाडेण्ट वादी पूरण सिंह व रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी निरंजन सिंह की किसी ने कोई पहचान की है।

रैस्पाडेण्ट वादी पूरण सिंह व रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी निरंजन सिंह ने मिलीभगत करके तथा राजीनामा प्रपत्र तैयार कर आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित कराई है। रैस्पाडेण्ट वादीगण व रैस्पाडेण्ट तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है। रैस्पाडेण्ट वादीगण व रैस्पाडेण्ट तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा ना वर्तमान में है। रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी निरंजन सिंह ने रैस्पाडेण्ट वादीगण से मिली भगत करके तथा सही व वास्तविक तथ्यो को छिपाकर तथा अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाए दावा पेश करा कर निर्णित व डिकी कराया है, क्योंकि रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी निरंजन सिंह अपने 1/2 भाग को दिनांक 06–07–2011 के बयनामे के जर्ये प्रतिफल प्राप्त कर व कब्जा प्रदत्त कर अपीलाण्ट को विक्रय कर चुका था। रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी चरण सिंह भी दिनांक 06–07–2011 को ही बयनामा के जयें अपना 1/2 हिस्सा अपीलाण्टा को विक्रय कर चुका था। तभी से अपीलाण्टा विवादित सालिम आराजी पर बहैसियत बोनाफाईड परचेजर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त तथ्यो की जानकारी रैस्पाडेण्ट वादीगण को बखूबी थी। क्योकि रैस्पाडेण्ट वादीगण ने प्रतिवादी निरंजन सिंह द्वारा अपीलाण्टा के हक में किए गए बयनामें को सन 2011 में ही न्यायालय जिला जज अलवर में वाद दायर कर चौलेज कर दिया था। जिसमें अपीलाण्टा को भी पक्षकार बनाया था। जो दावा निर्णित नहीं हुआ है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला जज संख्या एक अलवर के यहां अभी तक विचाराधीन है एवम अपीलाण्टा के हक में हुआ बयनामा अभी तक प्रभावी है।

उपरोक्त तथ्यो को छिपा कर निरंजन सिंह प्रतिवादी ने वादीगण से साज बाज होकर दावा मनगढंत व मिथ्या तथ्यो को आधार बनाकर प्रस्तुत किया तथा निर्णित व डिकी कराया है। जिसके आधार पर आलोच्य निर्णय कर नामांतकरण स्वीकार किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है। रैस्पाडेण्ट प्रतिवादी निरंजन सिंह रैस्पाडेण्ट वादीगण का पिता है, जो प्रतिफल लेकर व मौके पर कब्जा प्रदत्त कर अपीलाण्टा को अपने हिस्से की आराजी का विक्रय कर चुका है। जिस तथ्य को छिपाकर तथा आपस में साज बाज होकर अपीलाण्टा को नाजायज नुकसान पहुंचाने की गरज से दावा किया गया है जिसे मिली भगत कर बरूवे राजीनामा निर्णित व डिकी कराया गया है। जिस वाद का निर्णय करने से पूर्व तहत ना तो रैस्पाडेण्ट प्रतिवादीगण से जवाब तलब किया ना मुताबिक, प्लीडिंग तनकीयात विरचित की ना ही बयानात आदि लिए गए एवम बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आलोच्य निर्णय व डिकी पारित किया है, जिसके आधार पर आलोच्य निर्णय पारित कर नामांतकरण स्वीकार किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है ।

रैस्पाडेण्ट वादीगण का ना तो राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है, ना ही मौके पर उनका कब्जा काश्त है। यानी कि रैस्पाडेण्ट वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है। जिनको वाद लाने का कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए वाद वादीगण खारिज होने योग्य था। अपीलाण्टा ने प्रतिवादी निरंजन सिंह से उसके हिस्से की आराजी प्रतिफल प्रदत्त कर व मौके पर कब्जा प्राप्त कर खरीद की है। प्रतिवादी चरण सिंह का हिस्सा भी अपीलाण्टा ने खरीद किया हुआ है, सालिम आराजी पर अपीलाण्टा मालिक व काबिज है। इसलिए न्यायहित में आलोच्य निर्णय नामांतकरण अपास्त होने योग्य है।

आलोच्य निर्णय नामांतकरण करने से पूर्व तहसीलदार रामगढ़ ने भी अपीलाण्ट को सूचित कर सुनवाई का अवसर नहीं दिया ना ही मौके पर जाकर कब्जे व मौके की जांच की ना ही मौके व कब्जे की कोई रिपोर्ट तलब की। केवल गलत व बेजा तौर पर पारित निर्णय व डिकी के आधार पर बिना अपना माईण्ड एप्लाई किए तथा नामांतकरण हेतू विधिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर 26/3/15

प्रक्रिया अपनाए निर्णय नामांतकरण किया हैजो कानूनन गलत है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय दिनांक 04.06.2018 तहसीलदार रामगढ, अलवर नामांतकरण संख्या 599 अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

वकुलाय की विस्तृत बहस सुनी गई। बहस पूर्ण।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2017 को उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर पर्चा डिक्री किया गया। किन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 25.01.2021 को उक्त राजीनामे को विधिक रूप से प्रमाणित नहीं पाये जाने एवं अपीलाण्ट के हक आराजीयात में निहित होने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिये जाने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ द्वारा दिनांक 20.06.2017 को पारित पर्चा डिक्री को निरस्त किया गया। पत्रावली में संलग्न उप पंजीयक रामगढ़ द्वारा पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 07.07.2011 का अवलोकन किया गया। बयनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 लगा0 6 के पिता रेस्पो0 सं0 7 निरंजन सिंह जाति रायसिख द्वारा अपीलाण्ट आसीनी पत्नी आमीन खां को अपने हिस्से की आराजी का विक्रय किया गया। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन नहीं किया गया तथा बिना राजस्व रिकॉर्ड/बयनामे का अवलोकन किए और बिना मौके का निरीक्षण किये विधि विरूद्ध विवादित निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 04.06.2018 नामा0 सं. 599 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्याया0 तहसीलदार रामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि मुताबिक पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.07.2011 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)